भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1261
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवास और आवागमन संबंधी करार

1261. श्री प्रताप सिम्हाः
श्री रवि किशनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत और इटली के बीच प्रवास और आवागमन संबंधी करार के उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) भारत के कामगारों और छात्रों को इस समझौते के क्या लाभ हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क और ख) विदेश मंत्री की नवंबर 2023 में इटली की यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही संबंधी करार (एमएमपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और इटली के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध, लोगों से लोगों के बीच आपसी संपर्क और ऐतिहासिक मैत्री संबंध हैं। एमएमपीए हमारे लोगों के आपसी संपर्क और आवाजाही को और प्रगाढ़ बनाएगा।

यह करार विशेष रूप से संबंधित श्रम बाजारों की चिह्नित आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित, स्व–रोज़गार कामगारों, कुशल कामगारों, छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यवसायियों, कलाकारों की आवाजाही को सुकर बनाएगा; जिससे भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

*****